कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ), राजस्थान अरण्य भवन, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.(169)आई.टी. प्रोजेक्ट / उवसं / सू.प्रौ. / 2018–19 / 1930 दिनांक 26/10/18

कार्यालय आदेश

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा SSO में राज काज के अंतर्गत ''File and Dak Management System'' विकसित किया जा रहा है। इसमें विभाग की स्थिति अनुसार आवश्यक संशोधन कराये जा चुके हैं एवं अरण्य भवन स्थित सभी राजपत्रित अधिकारियों (आई.एफ.एस. / आर.एफ.एस. / लेखा / सांख्यिकी / विधि सहित) के स्तर से "File & Dak Management System को आरम्भ किया जावेगा। संबंधित अनुभाग के कनिष्ठतम तक राजपत्रित अधिकारी एवं उच्च अधिकारियों को File Create करने के अधिकार प्रदान किए जा चुके हैं तथा इसका प्रशिक्षण दिनांक 24.10.2018 को दिया जा चुका है।

अरण्य भवन में आने वाली महत्वपूर्ण पत्रादि जो कि उप वन संरक्षक (समन्वय) द्वारा मार्क किए जाते हैं को राजकाज के माध्यम से दर्ज किया जावेगा।

अतः दिनांक 01.11.2018 से "File and Dak Management System'' अरण्य भवन स्थित सभी कार्यालयों / अनुभागों में लागू किया जाता है। अब सभी पत्रावलियों को सिस्टम में दर्ज कर अग्रेषित किया जाना अनिवार्य है। आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा प्रदान की जावेगी।

(सी.एस. रत्नासामी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.(169)आई.टी. प्रोजेक्ट / उवसं / सू.प्रौ. / 2018–19 / 1931–95 दिनांक 26/10/18

प्रतिलिपि :–

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास / मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक / कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक / वित्तीय सलाहकार / वन संरक्षक / उप वन संरक्षक / सहायक वन संरक्षक एवं अन्य राजपत्रित अधिकारी, अरण्य भवन, जयपुर।
6. ....सूचना सहायक, अरण्य भवन, को दी जाकर लेख है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2819 दिनांक 09.10.2017 के अनुसार आवंटित अनुभागों में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराये।

(बिपिन कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर